




उपखण्ड अधिकारी
मुम्बई (दोसा)

28.04.22

पत्रावली पेश हुई। वादी व उसके अभिभाषक को न्यायालय समय तक बार - 2 आवज दिलवाई गई, चाकूह इसके कोई उपस्थित नहीं हुआ। वकील प्रतिवादी द्वारा वाह को वादी की अनुपस्थित में रकारिज करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया वादी व उनके अभिभाषक लम्बे समय से अनुपस्थित हैं इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादी अपने वाह के प्रति आशंका नहीं है एवं वह इसे आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः वादी का वाह, अहम-हाजरी, अहम-परेवी में रकारिज किया जाता है। पत्रावली फौजल मुगार क होकर, नम्बर से फग है।



उपखण्ड अधिकारी
मुम्बई (दोसा)